रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D L -33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 353 ] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 26, 2000/ ज्येष्ठ 5, 1922

No. 353] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 26, 2000/JYAISTHA 5, 1922

## विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय

( विधायी विभाग )

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मई, 2000

**का.आ. 495( अ ).**— राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्निलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:

"आदेश

श्री अशोक कुमार आसन दास मैदासानी, भुसावल (महाराष्ट्र) ने, एक आसीन संसद् सदस्य (राज्य सभा) श्री जसवंत सिंह के योजना आयोग के उपाध्यक्ष का पद धारण करने और प्रधान मंत्री के कार्यकारी विशेष दूत भी होने के कारण, जो कि उनके अनुसार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 के खण्ड (1) (क) के अर्थान्तर्गत लाभ के पद हैं, उस सदन का सदस्य होने पर उनकी निरर्हता के लिए एक याचिका दायर की थी ।

और राष्ट्रपति ने इस प्रश्न पर कि क्या श्री जसवंत सिंह निरर्हता से ग्रस्त हो गए हैं, संविधान के अनुच्छेद 103 (2) के अधीन निर्वाचन आयोग से राय माँगी थी ।

और निर्वाचन आयोग ने अपनी राय (उपाबंध देखिए) दी है कि यह मामला, यदि है तो भी निर्वाचन-पूर्व निरर्हता का मामला है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 103 (1) के अधीन राष्ट्रपति के समक्ष नही लाया जा सकता या उसका विनिश्चय उनके द्वारा नहीं किया जा सकता। अतः, यह याचिका राष्ट्रपति के समक्ष चलाए जाने योग्य नहीं है ।

अतः, अब मैं के0 आर0 नारायणन, भारत का राष्ट्रपति विनिश्चय करता हूं कि चूंकि श्री अशोक कुमार आसन दास मैदासानी की याचिका चलाए जाने योग्य नहीं है, अतः, नामंजूर की जाती है ।

उपाबंध

## भारत निर्वाचन आयोग

**कोरमः**

| | | |
|---|---|---|
| माननीय श्री जे0एम0 लिंगदोह | माननीय डा0 एम0एस0 गिल | माननीय श्री टी0एस0 कृष्णामूर्ति |
| निर्वाचन आयुक्त | मुख्य निर्वाचन आयुक्त | निर्वाचन आयुक्त |

### 1999 का निर्देश मामला सं0 1

( संविधान के अनुच्छेद 103 (2) के अधीन भारत के राष्ट्रपति का निर्देश)

संदर्भः संसद् (राज्य सभा) के आसीन सदस्य श्री जसवंत सिंह की अभिकथित निरर्हता ।

### राय

यह संविधान के अनुच्छेद 103 (2) के अधीन भारत के राष्ट्रपति का तारीख 5 मार्च,1999 का निर्देश है । इसमे इस प्रश्न पर राय मांगी गई है कि क्या श्री जसवंत सिंह, आसीन संसद् सदस्य (राज्य सभा) संविधान के अनुच्छेद 102 (1) के अधीन उस सदन के सदस्य बने रहने के लिए निरर्हता से ग्रस्त हो गए हैं ।

2. यह प्रश्न भुसावल (महाराष्ट्र) के श्री अशोक कुमार आसनदास मैदासानी, द्वारा संविधान के अनुच्छेद 103 (2) के अधीन भारत के राष्ट्रपति को तारीख 28 दिसम्बर, 1998 को दी गई याचिका से उत्पन्न हुआ है । उक्त याचिका में, याची ने यह बात कही है कि केन्द्रीय सरकार ने, प्रत्यर्थी श्री जसवंत सिंह को मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री की रैंक में भारत के योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में 21 मार्च, 1998 को नियुक्त किया था और उन्होंने 4 दिसम्बर, 1998 तक उपाध्यक्ष का उक्त पद धारण किया था । याची ने यह कथन किया है कि श्री जसवंत सिंह, 18 जून, 1998 को संसद् के सदस्य (राज्य सभा) के रूप में राजस्थान राज्य से राज्य सभा के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन में निर्वाचित किए गए । तत्पश्चात्, वह मंत्रिपरिषद् में शामिल किए गए और तारीख 5 दिसम्बर को विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त हुए । याची ने आगे यह भी कथन किया है कि श्री जसवंत सिंह 18 जून, 1998 की राज्य सभा के लिए निर्वाचन से पूर्व जून, 1998 के दूसरे सप्ताह में, अर्थात् 12 जून, 1998 को प्रधानमंत्री के विशेष दूत भी नियुक्त किए गए थे । याची ने यह दलील दी है कि भारत सरकार के विशेष दूत का पद संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड (1) के अर्थान्तर्गत लाभ का पद है और उस पद का धारक संसद् का सदस्य चुने जाने और बने रहने के लिए निरर्हित है । याचिका के पैरा 5 और 8 में याची ने, 12 जून से 7 नवम्बर, 1998 की अवधि के दौरान, अर्थात् 18 जून, 1998 को राज्य सभा में उनके निर्वाचित होने से पूर्व और उसके पश्चात् भारत सरकार के विशेष दूत और 5 दिसम्बर, 1998 से भारत के विदेश मंत्री के रूप में और योजना आयोग के उपाध्यक्ष का पद धारण करने के अतिरिक्त, श्री जसवंत सिंह के अनेक क्रियाकलापों का उल्लेख किया है । याची की यह भी दलील है कि विदेश मंत्रालय में भारत सरकार के विशेष दूत का पद भारत सरकार के अधीन एक लाभ का पद है और विधि द्वारा यह घोषित नहीं किया गया है कि इस पद का धारक संसद् के किसी भी सदन के सदस्य चुने जाने और बने रहने के

जून, 1998 से 4 दिसम्बर, 1998 तक भारत सरकार के अधीन लाभ का उक्त पद धारण किया है इसलिए, वे संविधान के अनुच्छेद 102 (1) के अधीन निरर्हता से ग्रस्त हो गए हैं ।

3. आयोग द्वारा उपरोक्त याचिका के अवलोकन और सुसंगत तथ्यों की समीक्षा से यह बात स्पष्ट है कि श्री जसवंत सिंह जून, 1998 में हुए द्विवार्षिक निर्वाचन में राजस्थान राज्य से 18 जून को राज्य सभा के लिए निर्वाचित हुए । लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 12 के अधीन उक्त द्विवार्षिक निर्वाचन की अधिसूचना 30 मई, 1998 को जारी की गई थी । उक्त निर्वाचन के लिए मतदान 18 जून, 1998 को हुआ और निर्वाचन का परिणाम भी रिटर्निंग आफिसर द्वारा उसी दिन घोषित कर दिया गया । लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 155 के अनुसार, राज्य सभा के सदस्य के रूप में श्री जसवंत सिंह की पदावधि उक्त अधिनियम की धारा 71 के अधीन उनके निर्वाचन की अधिसूचना की तारीख से आरम्भ होती है । उनके मामले में, अधिसूचना 5 जुलाई, 1998 को जारी की गई थी ।

4. उपर्युक्त तथ्यों और याची के प्रकथनों से सुस्पष्ट है कि श्री जसवंत सिंह, योजना आयोग के उपाध्यक्ष का पद धारण कर रहे थे और 18 जून, 1998 को राज्य सभा के सदस्य के रूप में अपने निर्वाचन की तारीख को प्रधान मंत्री के विशेष दूत के रूप में कार्य कर रहे थे । इस प्रकार, ऐसी निरर्हता, यदि कोई हो, जिसके बारे में यह अभिकथन किया गया है कि वह उपरोक्त पद धारण करने के कारण उपगत हुई है, 18 जून, 1998 को उनके निर्वाचन की तारीख को और उसके पूर्व विद्यमान थी । दूसरे शब्दों में, याची के अपने प्रकथनों के अनुसार भी यदि निरर्हता का कोई मामला है भी तो वह निर्वाचन-पूर्व निरर्हता का मामला है न कि ऐसी निरर्हता का मामला, जो उनके द्वारा 18 जून, 1998 को उनके पूर्वोक्त निर्वाचन के पश्चात् उपगत हुई या वे उससे ग्रस्त हो गए ।

5. यह सुस्थापित है कि संविधान के अनुच्छेद 109 के अधीन राष्ट्रपति को निरर्हता के केवल ऐसे ही मामलों को विनिश्चित करने की अधिकारिता है जिनमें संसद् का आसीन सदस्य अपने निर्वाचन के पश्चात् निरर्हता से ग्रस्त हो जाता है । इसके परिणामस्वरूप, संविधान के अनुच्छेद 103 (2) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा अभिकथित निरर्हता का प्रश्न निर्दिष्ट किए जाने पर, निर्वाचन आयोग भी अपनी जांच करने संबंधी अधिकारिता का प्रयोग केवल निर्वाचन पश्च निरर्हता के मामलों में ही कर सकता है । निर्वाचन-पूर्व निरर्हता, अर्थात् ऐसी निरर्हता, जिससे कोई व्यक्ति अपने निर्वाचन के समय या उससे पूर्व ग्रस्त था, का कोई प्रश्न लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के भाग 6 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 329 (ख) के अधीन निर्वाचन अर्जी के द्वारा ही उठाया जा सकता है न कि किसी अन्य रीति से । इस संबंध मे, उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए विभिन्न विनिश्चयों, अर्थात् निर्वाचन आयोग बनाम वेंकट राव (ए. आई. आर. 1953 एस0सी0 210); (ii) बृंदावन नायक बनाम निर्वाचन आयोग (ए. आई. आर. 1965 एस0सी0 1892); (iii) निर्वाचन आयोग बनाम एन0जी0 रंगा (ए आई आर 1978 एस0सी0 1609); आदि निर्देश्य हैं ।

6. सुस्थापित संविधानिक प्रास्थिति को ध्यान में रखते हुए, श्री जसवंत सिंह की अभिकथित निरर्हता का ऊपर निर्दिष्ट प्रश्न, निर्वाचन-पूर्व निरर्हता, यदि कोई हो, का मामला होने के कारण संविधान के अनुच्छेद 103 (1) के अधीन राष्ट्रपति के समक्ष न तो लाया जा सकता है और न ही उसके द्वारा उसका विनिश्चय किया जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप, निर्वाचन आयोग को भी ऐसे अभिकथित निर्वाचन-पूर्व निरर्हता के प्रश्न पर अपनी राय अभिव्यक्त करने की अधिकारिता नहीं है, इसलिए, यह याचिका संविधान के अनुच्छेद 103 (1) के निबंधनों के अनुसार, राष्ट्रपति के समक्ष चलाए जाने योग्य नहीं है । इससे पहले भी राष्ट्रपति और विभिन्न राज्यों के राज्यपालों द्वारा निर्दिष्ट ऐसे अनेक मामलों में आयोग ने, ऐसा ही मत व्यक्त किया है ।

7. इस मामले में, उपर्युक्त आशय का प्राप्त निर्देश तद्नुसार, निर्वाचन आयोग को राष्ट्रपति की राय के साथ उनको लौटाया जाता है ।

| (माननीय श्री जे0एम0 लिंगदोह) | (माननीय डा0 एम0एस0 गिल) | (माननीय श्री टी0एस0 कृष्णामूर्ति) |
|---|---|---|
| निर्वाचन आयुक्त | मुख्य निर्वाचन आयुक्त | निर्वाचन आयुक्त |

नई दिल्ली [फा. सं. एच-11026(1)/2000-वि. 2]

**MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS**

**(Legislative Department)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th May, 2000

**S.O. 495(E).**—The following Order made by the President is published for general information :—

**"ORDER**

Whereas Shri Ashok Kumar Asandas Maidasani of Bhusaval (Maharashtra) had made a petition for the disqualification of Shri Jaswant Singh, a sitting Member of Parliament (Rajya Sabha), for being a member of that House on account of holding the office of the Deputy Chairman of Planning Commission and also acting as the Special Envoy of the Prime Minister which, according to him, are offices of profit within the meaning of clause (1)(a) of Article 102 of the Constitution of India.

And whereas the President has sought the opinion of the Election Commission under Article 103 (2) of the Constitution of India, on the question whether Shri Jaswant Singh has become subject to disqualification.

And whereas the Election Commission has given its opinion (vide Annexure) that it is a case of pre-election disqualification, if at all, which can not be raised before, or decided by, the President under Article 103 (1) of the Constitution and that the present petition, is, therefore, non-maintainable before the President.

Now, therefore, I, K.R. Narayanan, President of India, do hereby decide that the petition of Shri Ashok Kumar Asandas Maidasani is non-maintainable and is, therefore, rejected.

PRESIDENT OF INDIA

Dated : 6th May, 2000.

ANNEXURE

**ELECTION COMMISSION OF INDIA**

**CORAM :**

| | | |
|---|---|---|
| Hon'ble Shri J.M. Lyngdoh<br>Election Commissioner | Hon'ble Dr. M.S. Gill<br>Chief Election Commissioner | Hon'ble Shri T.S. Krishna Murthy<br>Election Commissioner |

**Reference Case No. 1 of 1999**

(Reference from the President of India under Article 103 (2) of the Constitution of India)

In *re:* Alleged disqualification of Shri Jaswant Singh, a sitting member of Parliament (Rajya Sabha)

**OPINION**

This is a reference dated 5th March, 1999 from the President of India, seeking the opinion of the Election Commission, under Article 103 (2) of the Constitution of India, on the question whether Shri Jaswant Singh, a sitting Member of Parliament (Rajya Sabha), has become subject to disqualification, for being a member of that House, under Article 102 (1) of the Constitution of India.

2. The above question arose on a petition dated 28th December, 1998, made by one Shri Ashok Kumar Asandas Maidasani, of Bhusaval (Maharashtra), to the President of India under Article 103 (1) of the Constitution. In the said petition, the petitioner averred that the Central Government had appointed the respondent, Shri Jaswant Singh, as Deputy Chairman of the Planning Commission of India, with the rank of a Cabinet Minister, on 21st March, 1998 and he continued to hold the said office of the Deputy Chairman till 4th December, 1998. The petitioner stated that Shri Jaswant Singh was elected as a member of Parliament (Rajya Sabha) on 18th June, 1998, at the biennial election to the Council of States from the State of Rajasthan, and was subsequently inducted into the Council of Ministers and was appointed as Foreign Minister on 5th December, 1998. The petitioner further averred that Shri Jaswant Singh was also appointed as Special Envoy of the Prime Minister in the second week of June, 1998, i.e., 12th June, 1998, prior to his election to the Rajya Sabha on 18th June, 1998. The petitioner contended that the office of Special Envoy of the Government of India, was an office of profit within the meaning of clause (1) (a) of Article 102 of the Constitution of India and the holder of that office was disqualified for being chosen, as, and for being, a member of Parliament. In paras 6 and 8 of the petition, the petitioner has mentioned several activities of the respondent, Shri Jaswant Singh, as the Special Envoy of the Government of India, during the period from 12th June to 7th November, 1998, i.e., both prior to, and after, his

election to the Rajya Sabha on 18th June, 1998, and also as the Foreign Minister of India from 5th December, 1998, in addition to his holding of office of the Deputy Chairman of the Planning Commission. The contention of the petitioner is that the office of Special Envoy of the Govt. of India, Ministry of External Affairs is an office of profit under the Government of India and it has not been declared by law that the holder of this office will not be disqualified for being chosen, as, and for being, a member of either House of Parliament. The petitioner thus contends that Shri Jaswant Singh, having held the said office of the profit under the Govt. of India from 12th June, 1998 to 4th December, 1998, has become subject to disqualification under Article 102 (1) (a) of the Constitution of India.

3. The perusal of the above petition and the examination of the relevant facts by the Commission shows that Shri Jaswant Singh was elected to the Rajya Sabha on 18th June, 1998, from the State of Rajasthan at the biennial election held in June, 1998. Notification under section 12 of the Representation of People Act, 1951 for the said biennial election was issued on 30th May, 1998. Poll for the said election was taken on 18th June, 1998, and the result of the election was also declared by the Returning Officer on the same day. As per the provisions of Section 155 of the Representation of People Act, 1951, the term of office of Shri Jaswant Singh, as a member of the Rajya Sabha, commenced from the date of notification of his election under section 71 of the said Act. In his case, that notification was issued on 5th July, 1998.

4. From the above facts and the averments of the petitioner, it is unambiguously clear that Shri Jaswant Singh was holding the office of the Deputy Chairman of Planning Commission, and also acting as the Special Envoy of the Prime Minister, on the date of his election as Member of the Rajya Sabha on 18th June, 1998. Thus, the disqualification, if at all, which he is alleged to have incurred by holding the above offices, subsisted prior to, and on the date of his election on 18th June, 1998. In other words, according to the petitioner's own averments, it is a case of pre-election disqualification, if at all, and not a case of disqualification which he incurred or to which he became subject after his aforesaid election on 18th June, 1998.

5. It is well settled that under Article 103 (1) of the Constitution, the President has jurisdiction to decide only such question of disqualification to which a sitting Member of Parliament becomes subject after his election. Consequently, the jurisdiction of the Election Commission to enquire into question of the alleged disqualification, on being referred to it by the President under Article 103 (2) of the Constitution, also arises only in cases of post-election disqualification. Any question of pre-election disqualification, i.e., disqualification from which a person was suffering at the time of, or prior to, his election, can be raised only by means of an election petition under Article 329(b) of the Constitution read with Part-VI of the Representation of the People Act, 1951, and in no other manner. Reference is invited, in this connection, to the Supreme Court's catena of decisions in (i) Election Commission Vs. Saka Venkata Rao (AIR 1953 SC 210); (ii) Brundaban Naik Vs. Election Commission (AIR 1965 SC 1892); (iii) Election Commission Vs. N.G. Ranga (AIR 1978 SC 1609); etc.

6. In view of the well settled constitutional position, referred to above, the question of the alleged disqualification of Shri Jaswant Singh, being a case of pre-election disqualification, if at all, cannot be raised before, or decided by, the President under Article 103 (1) of the Constitution. Consequently, the Election Commission also has no jurisdiction to express any opinion on the question of such alleged pre-election disqualification. The present petition is, therefore non-maintainable before the President in terms of Article 103(1) of the Constitution. The same view has already been expressed by the Commission in a large number of similar cases, referred to it, by the President and Governors of several States.

7. The reference received from the President, in the present case, is accordingly returned to him, with the opinion of the Election Commission of India, to the above effect.

(J.M. Lyngdoh)
Election Commissioner

(Dr. M.S. Gill)
Chief Election Commissioner

(T.S. Krishna Murthy)
Election Commissioner

New Delhi

Dated : 7th March, 2000

[F. No. H-11026(1)/2000-Leg. II]

SUSHMA JAIN, Jt. Secy. and Legislative Counsel

1495 GI/2000-2